न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 158/2016

उनवान

1. भरतलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति ब्राहमण निवासी शिवनगर डाईट रोड टोंक
2. फैययाज पुत्र इलियास जाति मुसलमान निवासी तालकटोरा टोंक
3. संजय सिहंल पुत्र ओमप्रकाश सिहल जाति महाजन निवासी विकास बिहार टोंक
4. बुदीप्रकाश पुत्र भवंरलाल जाति ब्राहमण निवासी लहन तह0 टोंक जिला टोंक

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1.. तहसीलदार पीपलू।

निर्णय दिनांक 21.2.2018

तारिख दायरा 2.11.16

अधिवक्ता वादी :–श्री श्यामसुन्दर विजय
प्रतिवादी पैरोकार सरकार

**वाद दुरूस्ती इन्द्राज व तरमीम शीट स्थायी निषेधाज्ञा**

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खरीदशुदा भूमि आराजी खसरा नं0 1127/314 रकबा 10 बीधा ग्राम जयकिशनपुरा पटवार मण्डल बनवाडा तह0 पीपलू में स्थित है। जिनके हाल ख0न0 1127/314 रकबा 10 बीघा है तथा साबिक ख0न0 314/1090 रकबा 65 बीधा 08 बिस्वा में से 10 बीधा तथा साबिक 229 मिन.रकबा 65 बीधा 8 बिस्वा में से 10 बीधा भूमि वादीगण से पूर्व करण सिंह पुत्र टेकसिंह जाति बिचोली निवासी आर्दशनगर टोंक तह0 टोंक को आवंटन हुई थी तब से लेकर आज तक आवंटन भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। किन्तु वर्तमान में शीट में उक्त आराजी का अंकन नही है। इस कारण राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों द्वारा वादीगण की भूमि का सीमाज्ञान नही कर नक्शा शीट में वादीगण की भूमि के अडोसी पडोसी खातेदार आये दिन विवाद होता रहात है। तथा पास पडोस वाले खातेदारान वादीगण की उक्त भूमि को अपने खेतो में मिलाना चाहते है। इस कारण वादीगण वर्तमान नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाकार वादीगण के हक में 10 बीधा भूमि की इन्द्राज कराने का अधिकारी है। तथा आस पास के खातेदार द्वारा वादीगण की भूमि से नवीन रास्ता निकालने पर अमादा है । अतः प्रतिवादीगण को पावन्द फरमाया जावे की वादीगण की आराजी भूमि में से नवीन रास्ता नही निकाले एवं वर्तमान नक्शा शीट में प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 1127/314 रकबा 10 बीधा भूमि का शीट में लाल स्यायी से अकंन कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी की ओर से जरिये पेरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की आवंटित भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नही रहा है इस कारण शीट में इन्द्राज नही किया जा सकता है। तथा भूमि का मीन नम्बर 314/1090 रकबा 32.06 बीधा है। जिस पर वर्ष से 11 बीधा भूमि पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। जिस पर लगभग 4–5 बीधा श्मशान बना हुआ है। जल प्रवाह क्षैत्र में है। तथा अन्य भूमि पर काश्तकारो का अतिकमण दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त भूमि लम्बी पटटी के रूप में है , वादीगण का भूमि पर कब्जाकाश्त नही रहा है तथा वादीगण ने सपूदर्गी नामा पेश नही किया गया है। इस कारण उक्त भूमि पर तरमीम नही किया जा सकता है। वादीगण ने कभी भी तरमीम कराने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया ,लोक सेवक के विरूद्व दावा पेश करने से पहले धारा 80(2) सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

प्रकरण में दिनांक 20.8.2017 को तनकीयात कायम की गई। वादीगण की ओर से फैययाज पुत्र इलियास के साक्ष्यस्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता व पेरोकार सरकार की सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वाद में चाही गई अभियाचना को दौहराते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाने एवं वादीगण की आराजी भूमि में से नवीन रास्ता नही निकाले एवं वर्तमान नक्शा शीट में प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 1127/314 रकबा 10 बीधा भूमि का शीट में लाल स्यायी से अकंन कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाने का निवेदन किया है। तथा पेरोकार सरका ने जवाब के तथ्यो को दौहराते हुए वादीगण का भूमि पर कब्जाकाश्त नही रहा है तथा वादीगण ने सपूदर्गी नामा पेश नही किया गया है। इस कारण उक्त भूमि पर तरमीम नही किया जा सकता है। वादीगण ने कभी भी तरमीम कराने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया ,लोक सेवक के विरूद्व दावा पेश करने से पहले धारा 80(2) सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया । अतः वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे, प्रतिवादीगण प्रस्तुत जवाब दावे, साक्ष्यस्वरूप प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेद के आधार पर प्रकरण का तनकीबार विवेचन किया गया –

तनकी न0 1:– आया विवादित भूमि की पुरानी तरमीम शीट में लाल स्याही ो अंकित को दुरूस्त किया जावे एवं ख0न0 1127/314 रकबा 10 बीधा की नक्शा शीट में सही इन्द्राज किया जावे। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है।

इस तनकी को साबित करने हेतु वादीगण ने ईएक्स 1 से लेकर 8 जमाबन्दी एवं नक्शा शीट की प्रमाणित प्रति–लिपियॉ पेश की उनका अवलोकन किया गया। ईएक्स–4 से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के खाते में दर्ज होकर शीट में तरमीम हुई है किन्तु वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नही रहने के कारण वर्तमान में जवाब पैरोकार सरकार के मुताबिक सडक बनी हुई होना बताया है तथा वादीगण ने यदि तरमीम गलत हुई थी तो इतने वर्षो तक सही क्यो नही कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया उक्त शीट के अवलोकन से जाहिर होता है की विवादित आराजी पर वादीगण का कभी कब्जाकाश्त ही नही रहा है , जिसे शुद्व कराने का वादीगण को अधिकार नही है। इस विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2:– आया गलत तरमीम पर वादीगण की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी मजाहमत करते है इस कारण वादीगण उनके विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मेवादी ही था। वादीगण की और से प्रकरण में सपूर्दगी नामा , खसरा गिरदावरी इत्यादि रेकार्ड पेश नही करने से यह साबित नही होता है कि वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। यह तनकी भी वादीगण के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3:–आश विवादित भूमि पर वादीगण कभी कब्जाकाश्त नही रहा है तथा वर्तमान में 11 बीधा पर ग्रेवल सडक व 4–5 बीधा भूमि श्मशान के काम आ रही है। अन्य भूमि पर अतिक्रमण है। वादीगण द्वारा सपूदर्गी नामा पेश नही किया है इस कारण तरमीम किया जाना सभंव नही है। दावा खारिज फरमाया जावे ।

इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मे प्रतिवादी कह है। वादीगण की और से प्रकरण में सपूर्दगी नामा ,खसरा गिरदावरी इत्यादि रेकार्ड पेश नही करने से यह साबित नही होता है कि वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। तथा प्रतिवादी की ओर से जवाब में सपष्ट जाहिर किया है कि वादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नही रहने के कारण वर्तमान में ग्रेवल सडक एवं श्मशान बने हुए होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

## आदेश

तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्व में निर्णित होने से आदेश दिये जाते है की वादीगण का वाद साबित नही होने से दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अर्पिता सोनी
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू